<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/टी.ए./3285/2002/नागौर</u>

मु0 दाखा बेवा ईशरराम जाति भांबी निवासी झाडेली तहसील जायल जिला नागौर

...अपीलार्थी

बनाम

1– मगाराम
2– कूनाराम
3– हरीराम
4– प्रभूराम
पुत्रगण ईशरराम भांबी निवासीगण झाडेली तहसील जायल जिला नागौर
5– अन्नाराम
6– पेमाराम
7– पूर्णाराम
8– श्रीराम
9– छोटूराम
पुत्रगण धुड़ाराम भांबी निवासी झाडेली तहसील जायल जिला नागौर।
10– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, जायल।

...प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री महावीर सिंह, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः
श्री दुनीचन्द, अधिवक्ता, अपीलार्थी।
श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांक : 24 जनवरी, 2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 261/1995 में पारित निर्णय दिनांक 23–03–2002 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी इश्वरराम पुत्र मगाराम ने एक वाद घोषणा खातेदारी एवं बंटवाडा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलक्टर, जायल के समक्ष विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी/वादी इश्वराम के नजदीक रिश्तेदार में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 भतीजे लगते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 9 भाई लगता है। वादी का एक खेत खसरा नंबर 118 मी. रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा व हाल खसरा नंबर 139 रकबा 11 बीघा 8 बिस्व आया हुआ है। इस खेत में वादी ने जागीरदार से मांग कर सन् 1980 से काश्त करना शुरू किया था। तबसे आज तक लगातार वादी ही इस खेत को बोता आया है। वादी का खेत में कड़ब व चारा का पचासा लगा हुआ है। आगे यह भी अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 7 से 9 ने वादी को कहा कि इस साल वे खेत खसरानंबकर 139 से उसे बेदखल करेंगे तथा यह भी कहा कि इस खेत को अकेले अपने नाम खातेदारी करेंगे तब वह पटवारी हलका से जाकर राजस्व रिकार्ड की जानकारी ली तो पता चला कि वादी का खेत खसरा नंबर 139 प्रतिवादी संख्या–1 के खातेदारी में दर्ज हो गया है जबकि वादी इस खेत का लगान राज्य सरकारमें अदा करता आया है।

3– वादी इश्वरराम के पिता मगा की जगह कुछ गिरदावरियों में गंगा गलती से इन्द्राज होने से हाल सेटलमेंट में खसरा नंबर 139 को ईश्वर पुत्र मगा की जगह ईश्वर पुत्र गंगा के खाते में दर्ज किया गया है। जिसकी जानकारी वादी को अनपढ़ होने से पट्टा वितरण के समय नहीं हुई तथा जब पट्टा वितरण हुआ तब वह हाजिर भी नहीं था, बाहर गया हुआ था।

4– प्रतिवादी संख्या 7 व 8 प्रतिवादी संख्या 9 के पुत्रगण है। जो तीनों बाप–बेटों की नीयत खराब होने से वे शांतिपूर्वक अपीलार्थी/वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है। अतः उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से सदा सदा के लिए बेदखल किया जावे। वादपत्र पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने वाद पत्र के तथ्यों से इन्कार किया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–8–95 द्वारा तीन तनकियां कायम की तथा तीनों तनकियों का विवेचन करते हुए वाद वादी डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23–03–2002 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर परीक्षण सहायक कलक्टर, जायल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–8–1995 को अपास्त कर दिया एवं प्रकरण परीक्षण न्यायालय को निर्देशों के साथ पुनः गुणावगुण एवं तनकी के आधार पर निर्णय करने के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 30–8–1995 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

5– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

6– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किये गये इकबालिया जवाबदावे पर ईशरराम के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी को गलत नहीं बताये जाने पर भी उसको मनमाने तौर पर गलत व अवैध मानकर फैसला देने में गलती की गई है। परीक्षण न्यायालय को इस संबंध में इकबालिया जवाब दावे एवं अपनी भूमि के बंटवारे में दर्ज अंगूठा निशानी की जांच उनके वकील को बुलाकर करनी चाहिए थी केवल मात्र यह कहना कि हमनें अपने केस मेंा वकील श्री भंवरलाल पोटलिया को नियुक्त किय है किसी अन्य वकील को नहीं जानते है, इससे इकबालियां जवाब दावा गलत साबित नहीं होता है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या–9 द्वारा इकबालिया जवाबदावा दिनांक 15–9–89 को पेश किया था जिसको निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। तथा परीक्षण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दावे में उनके वकील हाजिर होते रहे हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किये गये दस्तावेज, साक्ष्य व रिकार्ड की पूर्णतय अनदेखी कर मनमाने तौर पर विधि विपरीत निर्ण्य

पारित किया है दिनांक 15–9–1989 को ईशरराम पुत्र गंगाराम द्वारा पेश किये गये इकबालिया जवाबदावो को उसके वकील द्वारा तस्दीक किया गय है तथा वकालतनामा पेश किया गया है जिसको बिना किसी साक्ष्य व सबूत के अभाव में सही नहीं मानने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायलाय ने पूर्णतया प्रिज्यूडीस होकर गलत फैसला दिया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–03–2002 का खारिज किया जावे तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, जायल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–8–1995 बहाल रखा जावे।

7– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन किया।

8– इस प्रकरण में मु0 दाखा के पति ईशरराम पुत्र भगाराम ने न्यायालय सहायक कलक्टर, जायल के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 280/1989 उनवानी ईशरराम बनाम अन्ना व अन्य बाबत् घोषणा खातेदारी बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसमें परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–8–1995 द्वारा वादी के पक्ष में डिक्री किया गया। इसकी अपील संख्या 261/1995 मगाराम द्वारा न्यायलय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश की गई और उभय पक्षकारान को सुनकर उन्होंने अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर ली और परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–8–1995 अपास्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पुनः पक्षकारान को सुनवाई का मौका देकर गुणावगुण व तनकीवार निर्णय पारित करें।

9– न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय में यह माना कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया गया निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के सर्वथा विपरीत है। वादी ने राजस्व रिकार्ड के संबंध में ऐसा कोई तथ्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादी विवादित आराजियात का पुराने समय से रिकार्डेड खातेदार सिद्ध होता हो या विवादित आराजी पर उसका कब्जा लगातार हो, केवल वादी की मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया गया है। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को दस्तावेज पेश करने के लिए

कोई अवसर भी नहीं दिया है और न ही तनकियों के आधार पर विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या–9 ने इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर, जायल द्वारा अंकित किया है जबकि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील में अपीलार्थी ने अपना इकबाली जवाबदावा गलत बताया है। इस प्रकार विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर सही निर्णय दिया है ताकि परीक्षण न्यायालय दोनों पक्षों की नये सिरे से सुनवाई का अवसर देकर तथा राजस्व रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए तनकीवार गुणागुवण पर निर्णय पारित करें। अतः हम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सके।

10– परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–03–2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग) **(महावीर सिंह)**
सदस्य **सदस्य**